भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या- *219
सोमवार, 18 दिसंबर, 2023/27 अग्रहायण, 1945 (शक)

रोजगार के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता

***219. श्री हनुमान बेनीवाल:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश भर में बेरोजगारी के संबंध में कोई नवीनतम आंकड़े विद्यमान हैं और यदि हां, तो राजस्थान सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का पलायन को रोकने के लिए उद्योगों और शोधनशालाओं (रिफाइनरी) में रोजगार प्रदान किए जाने में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए कोई नीति बनाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त नीति कब तक तैयार किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**

“रोजगार के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता” के संबंध में श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा पूछे गए लोक सभा के दिनांक 18-12-2023 के तारांकित प्रश्न संख्या *219 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है। नवीनतम उपलब्ध पीएलएफएस रिपोर्ट जुलाई, 2022 से जून, 2023 की अवधि के लिए है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, देश में वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 3.2% है। राजस्थान में, वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति के अधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 4.4% है। वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) अनुबंध में है।

(ख) और (ग): मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालाँकि, भारत सरकार ने स्थानीय क्षेत्रों के लोगों सहित देश भर में बेरोजगारी को कम करने और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

सरकार ने निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम श्रेणी के बुनियादी ढांचे का निर्माण करने तथा भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का केंद्र बनाने के लिए दिनांक 25 सितंबर, 2014 को 'मेक इन इंडिया' पहल, की शुरूआत की है। यह अनूठी 'वोकल फॉर लोकल' पहलों में से एक है जिसने भारत के विनिर्माण क्षेत्र को दुनिया में बढ़ावा दिया है। इसके साथ-साथ, सरकार ने आय और रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से "मेक इन इंडिया" को प्रोत्साहित करने और भारत में सेवाओं तथा वस्तुओं के विनिर्माण और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं।

ढांचागत और उत्पादक क्षमता में निवेश से, विकास और रोजगार पर बड़ा गुणक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2023-24 के बजट में, पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष, 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। विकास क्षमता और रोजगार सृजन बढ़ाने के लिए हाल के वर्षों में की गई यह पर्याप्त वृद्धि, सरकार के प्रयासों का केंद्र बिन्दु है।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार द्वारा सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगारों के सृजन तथा कोविड-19 महामारी के दौरान समाप्त हुए रोजगारों के पुनः सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी। इस योजना के आरंभ से, दिनांक 23.09.2023 तक, योजना के तहत 60.47 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार, दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को, उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। इस योजना के तहत दिनांक 23.11.2023 तक, 78.08 लाख ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को, अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने तथा इसमें और अधिक विस्तार करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत, दिनांक 17.11.2023 तक 44.41 करोड़ से अधिक ऋण खाते स्वीकृत किए गए हैं।

सरकार द्वारा, वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन पीएलआई योजनाओं से 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं। सरकार ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास हेतु एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है।

इसके साथ-साथ, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस), प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस), का कार्यान्वयन कर रहा है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रम आदि भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है।

सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

*****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 18.12.2023 के तारांकित प्रश्न संख्या *219 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर)

क्र.सं.	**राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र**	**बेरोजगारी दर** (% **में**)
1	आंध्र प्रदेश	4.1
2	अरुणाचल प्रदेश	4.8
3	असम	1.7
4	बिहार	3.9
5	छत्तीसगढ	2.4
6	दिल्ली	1.9
7	गोवा	9.7
8	गुजरात	1.7
9	हरियाणा	6.1
10	हिमाचल प्रदेश	4.3
11	झारखंड	1.7
12	कर्नाटक	2.4
13	केरल	7.0
14	मध्य प्रदेश	1.6
15	महाराष्ट्र	3.1
16	मणिपुर	4.7
17	मेघालय	6.0
18	मिजोरम	2.2
19	नागालैंड	4.3
20	ओडिशा	3.9
21	पंजाब	6.1
22	राजस्थान	4.4
23	सिक्किम	2.2
24	तमिलनाडु	4.3
25	तेलंगाना	4.4
26	त्रिपुरा	1.4
27	उत्तराखंड	4.5
28	उत्तर प्रदेश	2.4
29	पश्चिम बंगाल	2.2
30	एक प्रायद्वीप	9.7
31	चंडीगढ़	4.0
32	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव	2.5
33	जम्मू एवं कश्मीर	4.4
34	लद्दाख	6.1
35	लक्षद्वीप	11.1
36	पुडुचेरी	5.6
अखिल भारत		**3.2**

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई